[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–4 एच०एल०ए०

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 65 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"65. प्राधिकरण के कृत्य.– (1) प्राधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस उप अधीक्षक और उससे ऊपर की पदवी वाले पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध नीचे यथा विस्तृत गंभीर अवचार के आरोपों की जांच करेगा–

(क) किसी पीड़ित या शपथ–पत्र पर उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति;

या

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग।

व्याख्या.– इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "गम्भीर अवचार" का अर्थ होगा किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा कोई कृत्य, जो निम्नलिखित कोटि का हो–

(i) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(ii) पुलिस हिरासत में बलात्कार या बलात्कार का प्रयास;

(iii) पुलिस हिरासत में घोर उपहति;

(iv) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना हिरासत या निरोध;

(v) उद्दापन;

(vi) प्रपीड़न के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना;

(vii) संगठित अपराध में पुलिस कार्मिक का सम्मिलित होना;

(viii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में यथा परिभाषित किसी अपराध में पुलिस कर्मचारी द्वारा जानबूझकर बरती गई निष्क्रियता, जिस के लिए कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है:

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी ही गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जांच करेगा, यदि यह शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है:

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा छद्मनाम वाली शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा—

(i) ऐसा कोई मामला, जहाँ समुचित न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 193 के अधीन रिपोर्ट दायर की गई है;

(ii) ऐसा कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / राज्य मानवाधिकार आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राज्य अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय महिला आयोग / राज्य महिला आयोग / राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग / राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है;

(iii) ऐसा कोई भी मामला, जो अभिकथित घटना घटित होने के पांच वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आता है;

(iv) किसी विधिविरुद्ध जमाव, विरोध, धरना, किसी सार्वजनिक मार्ग की रुकावट या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाला कोई मामला।

(3) प्राधिकरण, पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसे संदर्भित किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है।

(4) प्राधिकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।"।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 68ग का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 68ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"68ग. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य.— (1) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर, निरीक्षक की पदवी तक के पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर अवचार के आरोपों की जांच करेगा—

(क) किसी पीड़ित या शपथ—पत्र पर उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति;

या

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग।

व्याख्या.— "गम्भीर अवचार" का वही अर्थ होगा, जो धारा 65 में इसे दिया गया है:

परन्तु कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा छद्मनाम वाली शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण निम्नलिखित किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा–

(i) ऐसा कोई मामला, जहाँ समुचित न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 193 के अधीन रिपोर्ट दायर की गई है;

(ii) ऐसा कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है;

(iii) ऐसा कोई मामला, जो अभिकथित घटना घटित होने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आता है;

(iv) किसी विधिविरुद्ध जमाव, विरोध, धरना, किसी सार्वजनिक मार्ग की रुकावट या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाला कोई मामला।

(3) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण इसकी उचित कार्यप्रणाली के लिए प्राधिकरण के संपूर्ण नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(5) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकरण को सिफारिशें करने की शक्तियां होंगी और अनुशासनिक प्राधिकरण उन पर उचित कार्रवाई करेगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) को हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.06.2008 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 65 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यों का प्रावधान है और उक्त अधिनियम की धारा 68 ग में पुलिस कर्मियों के विरूद्ध गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच के सम्बन्ध में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यों का प्रावधान है। हालाँकि, उक्त अधिनियम की धारा 65 और 68 ग के प्रावधान उन मामलों के संबध में मौन हैं, जहाँ ऐसे पुलिस कर्मियों के विरूद्ध किसी उपयुक्त न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम 46) की धारा 193 के तहत रिपोर्ट दायर की गई है। उक्त प्रावधान विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित राष्ट्रीय आयोगों और राज्य आयोगों के समक्ष लंबित मामलों के सम्बन्ध में भी मौन हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है।

तदनुसार, उक्त अधिनियम के तहत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के उचित और प्रभावी संचालन के लिए हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 में संशोधन के माध्यम से इन प्रावधानों को शामिल किया जाना आवश्यक है। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 6 मार्च, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 से उद्धरण

धारा 65 "(1) प्राधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस उप अधीक्षक और नीचे विस्तृत अनुसार उससे ऊपर की पदवी के पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध नीचे यथा विस्तृत 'गंभीर अवचार' के आरोपों की जांच करेगा–

(क) किसी पीड़ित या सशपथ–पत्र पर उसकी और से किसी भी व्यक्ति; या

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग।

व्याख्या.– इस अध्याय के प्रयोजन के लिए 'गंभीर अवचार' का अर्थ होगा किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा कोई कृत्य, जो निम्नलिखित का कारण बनता हो या उसके समान हो–

(क) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास;

(ख) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(ग) घोर उपहति;

(घ) विधि की सम्यक् प्रकिया के बिना हिरासत या निरोध;

(ङ) उद्दापन;

(च) प्रपीड़न के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना;

(छ) संगठित अपराध में पुलिस कार्मिक का सम्मिलित होना;

(ज) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में यथा परिभाषित किसी अपराध में पुलिस कर्मचारी द्वारा बरती गई निष्क्रियता, जिसके लिए कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है:

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी ही गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जांच करेगा, यदि यह शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है:

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा छद्मनाम वाली शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएगी।"।

धारा 68 ग जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य.–

"(1) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, या ता स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर, निरीक्षक की पदवी तक के पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध 'गंभीर अवचार' के आरोपों में जांच करेगा–

(क) किसी पीड़ित या सशपथ–पत्र पर उसकी और से किसी भी व्यक्ति;

या

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग।

व्याख्या.– 'गंभीर अवचार' का वही अर्थ होगा, जो धारा 65 में इसे दिया गया है:

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा छद्मनाम वाली शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण निम्नलिखित किसी भी मामलें में जांच नहीं करेगा–

(i) ऐसा कोई मामला, जहाँ समुचित न्यायालय में दंड प्रकिया सहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट दायर की गई है;

(ii) ऐसा कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग में लंबित है;

(iii) ऐसा कोई मामला, जो अभिकथित घटना घटित होने के एक वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आता है;

(iv) किसी विधिविरूद्ध जमावड़ा, विरोध, धरना, किसी सार्वजनिक मार्ग की रूकावट या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाला कोई मामला।

(3) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण इसकी उचित कार्यप्रणाली के लिए प्राधिकरण के संपूर्ण नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(5) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों को सिफारिशें करने की शक्तियां होंगी और अनुशासनिक प्राधिकारी उन पर उचित कार्रवाई करेगा।"

12477–H.V.S.–H.G.P., Pkl.